

भारत सरकार  
शहरी विकास मंत्रालय  
निर्माण भवन

\*\*\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 2013

**कार्यालय आदेश**

विषय: **शहरी विकास मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों (एए) की नियुक्ति - के संबंध में**

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 9-1-2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने निदेश दिया है कि इस मंत्रालय के हाऊसिंग-III अनुभाग के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, उप वित्तीय सलाहकार, 342-सी, निर्माण भवन, होंगे और अपीलीय अधिकारी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, 141-सी, निर्माण भवन, शहरी विकास मंत्रालय होंगे।

(आई. एम. खान)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23061426

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री/निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (शहरी विकास)/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास)
2. प्रधान निजी सचिव, सभी संयुक्त सचिव/एफएस एवं एफ ए (वित्तीय सलाहकार)/आर्थिक सलाहकार/विशेष कार्य अधिकारी (शहरी मंत्रालय)
3. शहरी विकास मंत्रालय में सभी निदेशक/उप वित्त सलाहकार/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी
4. संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय के प्रमुख
5. कार्यालय आदेश मिसिल
6. सूचना पट्ट
7. पीआईसी प्रकोष्ठ
8. एनआईसी को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

(रजनीश कुमार झा)

अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-I)

दूरभाष: 23062984